19/06/23 पत्रावली आज पेश हुई। वकील पार्टी द्वारा पत्रावली का अवलोकन मनन किया गया। वकील पार्टी द्वारा उक्त प्रकरण दिनांक 8/8/22 को इस न्यायालय में दायर करवाया था। लगभग 10 माह से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण/विपक्षीगण की तलबी एवं नोटिस करवाए नहीं हो सके यह प्रतीत होता है कि पार्टी व पार्टी के अधिवक्ता ने इस प्रकरण में कोई रुचि नहीं रखी है अतः उक्त अनावश्यक प्रकरण तलबी के अभाव में आदेश 9 नियम 5 CPC के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुनाए होकर फाइल पत्रावली

प्रशासनिक अधिकारी, पुष्कर